प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 81 /2022)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी/इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार" पर अनुशंसाए जारी कीं ।

नई दिल्ली, 12 दिसंबर, 2022- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ और दूर-दराज के जिलों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए अनुशंसाए जारी की हैं।

2. हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य के कुछ हिस्सों में खराब दूरसंचार कनेक्टिविटी की स्थिति और राज्य में डिजिटल डिवाइड को संबोधित करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, प्राधिकरण ने प्रासंगिक हितधारकों अर्थात हिमाचल प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), स्थानीय राज्य सरकार के अधिकारियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी), भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) और स्थानीय उपभोक्ता प्रतिनिधियों के साथ स्वत: परामर्श शुरू किया था।

3. दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतराल की वर्तमान स्थिति का आकलन करने हेतु और राज्य में मौजूदा डिजिटल डिवाइड को भी पाटने के लिए, भादूविप्रा ने राज्य में चार बुरी तरह प्रभावित राजस्व जिलों लाहौल और स्पीति, चंबा, कुल्लू और मंडी की पहचान की है। भादूविप्रा ने हिमाचल प्रदेश के इन चार बुरी तरह से प्रभावित जिलों में संचालन कर रहे

टीएसपी, बीबीएनएल, यूएसओएफ, राज्य में संचालित विद्युत उत्पादन/ संचारण कंपनियों से राज्य में उपलब्ध दूरसंचार नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतराल के विश्लेषण के लिए वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। अंतराल विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश के उपर्युक्त जिलों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार का सुझाव देते हुए अपनी अनुशंसाए कीं।

4. इन अनुशंसाओं के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

क. हिमाचल प्रदेश (एचपी) के 25 वंचित गांवों (लाहौल और स्पीति, कुल्लू और चंबा के तीन राजस्व जिलों के अंतर्गत आने वाले) को दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए यूएसओएफ के माध्यम से आवश्यक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और परिचालन व्यय (ओपेक्स) को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए।

ख. जैसा कि यूएसओएफ प्रायोजित "देश भर के छूटे हुए गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति" के मौजूदा प्रावधान इसके वर्तमान दायरे के तहत अतिरिक्त 20% समुदायों को शामिल करने की अनुमति देते हैं, यह अनुशंसा की गई है कि छूटे हुए गांवों (लाहौल और स्पीति, कुल्लू और चंबा के तीन राजस्व जिलों के अंतर्गत आने वाले) का जमीनी सर्वेक्षण करने के बाद यूएसओएफ को इन 25 गांवों को तुरंत अपने 20% अतिरिक्त दायरे में शामिल करना चाहिए, ताकि 4G उपलब्ध कराया जा सके। इन 25 छूटे हुए गांवों में 4G कवरेज प्रदान करने के लिए अपेक्षित कुल अतिरिक्त खर्च का भी सुझाव दिया गया है।

ग. गैर-4G आधारित कवरेज वाले 38 गांवों में सेलुलर मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को 20% अतिरिक्त दायरे के तहत 4G आधारित दूरसंचार सेवा में अपग्रेड करने की भी अनुशंसा की गई है, जो यूएसओएफ प्रायोजित "देश भर के छूटे हुए गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति" में मौजूद है।।

घ. यह अनुशंसा की गई है कि 4G संतृप्ति योजना के लिए, यूएसओएफ को शुरू में ऐसे सभी गांवों के लिए वीएसएटी (VSAT) आधारित बैकहॉल कनेक्टिविटी की योजना बनानी चाहिए जहां ओएफसी या अन्य बैकहॉल मीडिया वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वीएसएटी उपकरण मासिक किराये के मॉडल या साझा बैंडविड्थ मॉडल सहित अन्य प्रचलित मॉडल पर लिए जा सकते हैं। जैसे ही ओएफसी बैकहॉल उपलब्ध कराया जाता है, वीएसएटी कनेक्टिविटी को वापस किया जा सकता है।

ङ. दूरसंचार विभाग को भारतनेट परियोजना के तहत राज्य में दूर-दराज या सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों में दूरसंचार कवरेज (ब्रॉडबैंड सेवाओं सहित) का विस्तार करने के लिए एनएफएस नेटवर्क पर ओएफसी की एक/दो जोड़ी के आवंटन के लिए रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के साथ मामला उठाना चाहिए। यदि यह व्यवहार्य नहीं है, तो ऐसे गांवों में दूरसंचार कवरेज का विस्तार करने के लिए इसके मौजूदा कार्यात्मक ओएफसी पर उपयुक्त बैंडविड्थ आवंटित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया जा सकता है।

च. हिमाचल प्रदेश के राजस्व जिलों जैसे चंबा, कुल्लू, लाहौल और स्पीति और मंडी के लिए, जिन गांवों को भारतनेट परियोजना के तहत जोड़ा जाना बाकी है, उन्हें तुरंत

वीएसएटी (VSAT) मीडिया पर जोड़ा जाना चाहिए। जैसे ही ओएफसी बैकहॉल उपलब्ध कराया जाता है, वीएसएटी कनेक्टिविटी को वापस किया जा सकता है।

छ. हिमाचल प्रदेश के चिन्हित जिलों के लिए, शामिल न किए गए गांवों को मोबाइल कवरेज प्रदान करने के अलावा, सभी तहसीलों/तालुकों को शामिल करने वाली रिंग संरचना में एक कोर ट्रांसमिशन बैकहॉल नेटवर्क को भी यूएसओएफ के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। भादूविप्रा इसके लिए एक विस्तृत निवेश योजना पर काम करेगा और इसकी अलग से अनुशंसा करेगा।

ज. दूरसंचार विभाग लाहौल और स्पीति, मंडी, कुल्लू और चंबा के चार जिलों में सभी स्थानों सहित राज्य में दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए TSPs/ISPs पर कोई आरओडब्ल्यू (RoW) शुल्क नहीं लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के साथ विषय उठा सकता है। राज्य के आरओडब्ल्यू नियमों को भी दूरसंचार विभाग द्वारा आरओडब्ल्यू नियम 2016 में किए गए नवीनतम संशोधनों के साथ तुरंत संरेखित किया जाना चाहिए।

झ. दूरसंचार विभाग को उपयोगिता/औद्योगिक टैरिफ पर दूरसंचार साइटों को प्राथमिकता पर (कनेक्शन अनुरोध के 15 दिनों के भीतर) बिजली प्रदान करने पर विचार करने के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाना चाहिए। दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्रों (लाहौल और स्पीति, मंडी, कुल्लू और चंबा जिलों में सभी स्थानों सहित) में दूरसंचार साइटों को बिजली कनेक्शन देने के लिए अंतिम मील स्थापना शुल्क को माफ करने पर विचार करने के लिए दूरसंचार विभाग को हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के

साथ भी बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे इन क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को जल्द शुरू करने में मदद मिलेगी और डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद मिलेगी।

ञ. दूरसंचार विभाग को राज्य सरकार, एनएचएआई और बीआरओ के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सड़क निर्माण, सड़क चौड़ीकरण या अन्य संबंधित कार्यों में टीएसपी के साथ पूर्व समन्वय (पूर्व नोटिस के माध्यम से) किया जाना चाहिए और दूरसंचार नेटवर्क में होने वाली नुकसान के लिए भुगतान करने के लिए ठेकेदार की देयता को अनुबंधों में अंतर्निहित होनी चाहिए। दूरसंचार विभाग को भविष्य के सभी सड़क चौड़ीकरण और नई सड़क निर्माण परियोजनाओं में डक्ट्स के निर्माण की संभावना का पता लगाने हेतु हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के साथ विषय को उठाना चाहिए। इससे राज्य में दूरसंचार सहित सभी उपयोगिता इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से शुरू करने में मदद मिलेगी।

ट. प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रणनीतिक दूरसंचार स्थलों पर सौर पैनलों की स्थापना के लिए वित्त पोषण की योजना बनाने के लिए दूरसंचार विभाग को एमएनआरई (MNRE) और हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए।

ठ. दूरसंचार विभाग को ऐसी सभी स्थलों का स्थल वार विश्लेषण करना चाहिए जो बीएसएनएल द्वारा हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में वीएसएटी पर चलाई जा रही हैं। ऐसी सभी स्थलों के लिए जो सरकार की रणनीतिक या सेवा

वितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलाई जा रही हैं, इन स्थलों को चलाने की पूरी परिचालन लागत सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए।

ड. भादूविप्रा ने इससे पहले दूरसंचार विभाग को डीओ पत्र संख्या एम-5/9/(4)/2021-क्यूओएस दिनांक 07.10.2022 लिखा था जिसमें सिक्किम में डिजिटल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए कई बिंदुओं पर दूरसंचार विभाग की ओर से कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। सिक्किम से जुड़े सभी बिंदुओं पर दूरसंचार विभाग को तत्काल कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। पत्र के कुछ कार्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं -

- बीएसएनएल द्वारा भारतनेट/यूएसओएफ वित्त पोषित परियोजना के प्रबंधन के लिए एक अलग एस्क्रो खाता (escrow account) संचालित करना,
- भारतनेट तथा अन्य यूएसओएफ वित्त पोषित परियोजनाओं के परियोजना कार्यान्वयन तथा रखरखाव के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले कर्मियों के साथ एलएसए क्षेत्र इकाइयों के तहत राज्य-वार विशेष परियोजना प्रभाग का निर्माण,
- राज्यों को लिट जीपीयूस (GPUs) के बारे में तत्काल जानकारी प्रदान करने हेतु एक तंत्र स्थापित करना,
- प्रत्येक वायर्ड-लाइन सेवा की मांग की प्रतीक्षा सूची बनाए रखने के लिए टीएसपी पर लाइसेंस की शर्त को लागू करना ।

हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए भी समान रूप से प्रासंगिक हैं। प्राधिकरण ने अनुशंसा की है कि उपर्युक्त डी.ओ. पत्र में वर्णित बिन्दुओं को, जहां तक हिमाचल प्रदेश के लिए प्रासंगिक है, यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

6. अनुशंसाएँ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। किसी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, यदि कोई हो, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (ब्रॉडबैंड और नीति विश्लेषण/नेटवर्क स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग-I), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23236119 या ईमेल "advbbpa@trai.gov.in" पर संपर्क किया जा सकता है।

वी. रघुनंदन

(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा